



34

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 निगरानी

निगरानी/टीकमगढ/भू.रा/2018/1679

महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामसेवक ब्राहमण, आयु- 63 वर्ष, व्यवसाय- सेवानिवृत्त, निवासी- ग्राम उबौरा, तहसील- निवाडी, जिला-टीकमगढ, म0प्र0आवेदक

एस.के. खरे
9/3/18
प्रस्तुत! प्रारम्भिक लक
दिनांक 21/3/18 नियुक्त
[Signature]
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

[Signature]
(एस.के. खरे)

- 1- प्रेमनारायण पुत्र श्री रामसेवक ब्राहमण, आयु- 80 वर्ष, व्यवसाय- सेवानिवृत्त, निवासी- ग्राम उबौरा, तहसील- निवाडी, जिला-टीकमगढ, म0प्र0
- 2- श्रीमती विमलेश पुत्री श्री राजाराम ब्राहमण, पत्नी श्री महेन्द्र कुमार ब्राहमण, आयु- 45 वर्ष, व्यवसाय- शासकीय सेवक, हाल निवासी- उसरी जिला नरसिंहपुर, म0प्र0अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, विरुद्ध आदेश दिनांक 31/01/2018 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल तरीचरकला तहसील निवाडी जिला टीकमगढ म0प्र0, जो प्रकरण क्रमांक 2/अ-12/2017-2018 व उनमान प्रेमनारायण बनाम महेन्द्र कुमार आदि में पारित कर अनावेदक क्रमांक 1 का सीमांकन आवेदन स्वीकार कर सीमांकन, पंचनामा, फील्ड बुक और सूचना-पत्र स्वीकृत किया है। आदेश दिनांक 31/01/2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि को एनेक्जर ए/1 से चिन्हित किया गया है।

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य

- 1- यह कि, निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्तागण की पुष्टानी संपत्ति स्थित ग्राम उबौरा, तहसील निवाडी, जिला टीकमगढ खसरा क्रमांक 2621 एवं खसरा क्रमांक 2486 स्थित है । उपरोक्त भूमि के साथ अन्य संपत्तियों के बँटवारे का प्रकरण न्यायालय माननीय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर के समक्ष लंबित है। जिसमें निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्तागण के 1/3 -1/3 के हिस्सेदार होने का प्रकरण लंबित है । गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 द्वारा उपरोक्त संपत्ति सहित अन्य संपत्तियों के बँटवारे के संबंध में आवेदन पत्र श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय तरीचरकला के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्तागण ने 1/3-1/3 के हिस्सेदार होने का फर्द बँटवारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । लेकिन

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/1679

महेन्द्र विरूद्ध प्रेमनारायण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-02-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक तरीचरकला तहसील निवाडी के प्रकरण क्रमांक 02/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 31-01-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी निवाडी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी निवाडी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये ।	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>06/02/2019</p>